

सं.एफ. 10/9/2008-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक : 26 अप्रैल, 2011

विषय: भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क की अदायगी।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियम) नियमावली, 2005 में प्रावधान है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाला कोई व्यक्ति सूचना पाने के लिए नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क की अदायगी कर सकता है। इस विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ लोक प्राधिकरण भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं करते हैं।

2. यथोक्तानुसार, नियमों के अंतर्गत शुल्क की अदायगी के तरीकों में एक माध्यम भारतीय पोस्टल ऑर्डर है। आईपीओ के माध्यम से शुल्क स्वीकार किए जाने से इंकार आवेदन को स्वीकार करने से मना करने जैसा लिया जाएगा। इसका परिणाम अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा शास्ति लगाया जाना हो सकता है। अतः, सभी लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईपीओ द्वारा शुल्क की अदायगी से इंकार न हो।

3. इस का.ज्ञा. के संदर्भों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

सही
(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092158

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।